

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
14-3-19	<p>पत्रावली देवा हुई। सरिसते रिपोर्ट का (अवलोकन किया)। अपील दर्ज रजिस्टार की जाये। अपील में साथ संलग्न स्थान चर्चा - पर पर अपी. अं. को सुरक्षा तथा पत्रावली का (अवलोकन किया गया)। हस्त पर गतन एवं पत्रावली का (अवलोकन करने के उपरान्त आजागी आदेश लगे तब न्यायालय उपरवण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय दिनांक 4.3.15 उनका नम्बर अं. राजजीलाल का अपी. के हिस्से लगे अन्वयन स्थिति परकी हुई अपी. को का 2.65 हैं। काये जाम हाजीपुर नं. बानसूर का वस नहीं करने हेतु आदेश दिये जाते हैं। रेसपो. की नामील हेतु पत्रावली में शामिल सम्मन जारी किये जाते पत्रावली दिनांक 22.5.19 को देवा हो।</p>	<p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>
22-5-19	<p>पत्रावली देवा हुई। (अभिभाष्य अपीलान्टस ७७०) अपी. अं. द्वारा अपील प्रवण को इसी स्तर पर NOT PRESS किये जाते हेतु निर्देश किया गया। सहमति हेतु आदेशाना पर हस्ताक्षर की किये/अं. स्वयं अपीलान्टस प्रवण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इतलिय अपी. के निर्देश पर अपील इसी स्तर पर NOT PRESS में रजिस्टर की जाती हैं। पत्रावली मेंसल बुकार होकर नम्बर से उस की जाते का तद्वतिल जाका टारिख वकालत की जाये।</p>	<p>Note press 22/5/19</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर</p>